

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-३८/२०१६/४६६/चि०-३-१६-१७०८/२०१३
लखनऊ : दिनांक ५ मार्च, २०१६

कार्यालय जाप

शासन के कार्यालय जाप संख्या-१२८-चार/चि०-३-१४-१७०८/२०१३, दिनांक २६-०२-२०१४ द्वारा डा० कामता प्रसाद त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ (वरिओक्रो-११६१८, लेवल-३), अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ का प्रशासनिक आधार पर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-३८/२०१६/४६६ (१)/चि०-३-१६.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
३. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
४. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ/चित्रकूट।
५. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/चित्रकूट।
६. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ)।
७. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
८. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-२ संशोधित करने का कष्ट करें।
९. चिकित्सा अनुभाग-२/८/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव

-
- १- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - २- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-39/2016/496 /चि०-३-१६-टी०-१(१८)/२०१६
लखनऊ : दिनांक ७ मार्च, २०१६

कार्यालय ज्ञाप

डा० लक्ष्मण मिश्रा, नेत्र रोग विशेषज्ञ (वरिओक०-10744, लेवल-३), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया, बस्ती को जनहित में स्थानान्तरित करते हुये 100शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, फैजाबाद में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा० लक्ष्मण मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।


विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-39/2016/496 (१) /चि०-३-१६.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती/फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100शैययायुक्त संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, फैजाबाद।
6. अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया, बस्ती।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती/फैजाबाद।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती)।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-२ संशोधित करने का कष्ट करें।
11. चिकित्सा अनुभाग-२/८/गाई फाईल।

आज्ञा से,

(A) 
(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव



-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।